विचारार्थ विषय
इंडिया लो इनकम हाउसिंग फाइनेंस प्रोजेक्ट
खरीद परामर्शदाता/विशेषज्ञ

क. पृष्ठभूमि:

राष्ट्रीय आवास बैंक ने इंडिया लो इनकम हाउसिंग फाइनेंस प्रोजेक्ट (100 मिलियन अमेरिकी डॉलर आईडीए ऋण के द्वारा सहायता) को कार्यान्वित करने हेतु एक परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) का गठन किया है। यह इकाई इस परियोजना (और अन्य विकास भागीदारों के साथ ऐसी ही परियोजनाओं) के दैनिक कामकाज हेतु उत्तरदायी होगा।

ख. उद्देश्य:

पीआईयू के कर्मचारी में इस परियोजना हेतु सहमत हुए खरीद प्रक्रिया के अनुसार वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद की देखरेख हेतु एक खरीद विशेषज्ञ शामिल होगा।

खरीद परामर्शदाता की भूमिका एवं जिम्मेदारी का क्षेत्र निम्नलिखित है।

खरीद संबंधित गतिविधियों हेतु परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू), निम्न आय आवास वित्त परियोजना, राष्ट्रीय आवास बैंक को सहायता करना प्रमुख कार्य होगा।

मोटे तौर पर विस्तृत गतिविधि वार कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

ग. कार्य:

ग.1. सामान्य

1. परियोजना हेतु खरीद योजना तैयार करना एवं नियमित रुप से इसकी निगरानी/अद्यतन करना। योजना तैयार करते समय, अत्यावश्यक खरीद एवं पैकेजिंग के प्राथमिकता पर पीआईयू के समदस्यों से राय प्राप्त किया जाएगा ताकि श्रेष्ठ प्रतियोगिता, अर्थव्यवस्था एवं दक्षता सुनिश्चित किया जा सके। कार्यान्वयन से पहले खरीद योजना में सभी अद्यतनों एवं सुधारों हेतु विश्व बैंक का अनापत्ति प्राप्त करने में सहायता करना। विश्व बैंक के वेबसाइट (और राष्ट्रीय आवास बैंक के बेवबासइट, यदि राष्ट्रीय आवास बैंक सहमत हो) पर खरीद योजना के प्रकाशन हेतु समन्वय करना।

2. विश्व बैंक के द्वारा लेखा परीक्षा/समीक्षा हेतु खरीद संबंधित अभिलेखों एवं प्रलेखीकरण को योजनाबद्ध तरीके से बनाए रखना।

3. जब और जैसे जरूरत हो, पीआईयू, एनएचबीऔर विश्व बैंक को खरीद संबंधित रिपोर्ट/अद्यतन उपलब्ध कराना।

4. परियोजना हेतु सहमत हुई प्रक्रिया के अनुसार पीआईयू द्वारा प्राप्त, यदि कोई हो, खरीद संबंधित शिकायतों, आरटीआई और कोई अन्य जरूरतों को देखना।

5. सभी पात्र मामलों में विश्व बैंक से अनापत्ति प्राप्त करने में पीआईयू की सहायता करना।

6. परियोजना के खरीद प्रक्रिया से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना।

किसी भी और सभी खरीद गतिविधियों में पीआईयम के वरिष्ठ स्टाफ सदस्यों की सहायता करना।

ग.3. सेवाओं की अधिप्राप्ति (खरीद):

1. एक सामाजिक विशेषज्ञ, पर्यावरण विशेषज्ञ और निम्न आय आवास वित्त विशेज्ञ की सेवा लेने में पीआईयू की सहायता।

2. अधिप्राप्त (खरीदे) किए जाने वाली सेवाओं के संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप देने में पीआईयू की सहायता करना।
3. परामर्शी कार्य हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापनों एवं यूएनडीबी ऑनलाईन/ डीजीमार्केट (300,000 डॉलर की कीमत से ऊपर के कार्यों के लिए विश्व बैंक के माध्यम से) के माध्यम से हितों के भाव (ईआईओ) तलाशना।
4. ईओआई के निरूपण में पीआईयू के सदस्यों की सहायता करना एवं छंटनी को अंतिम रूप देना।
5. विश्व बैंक के प्रस्ताव के दस्तावेजों के लिए मानक अनुरोध के आधार पर सम्मत समय सीमा के अनुसार अधिप्राप्ति योजना में समाहित विभिन्न पैकेजों के लिए प्रस्ताव (आरएफपी) के अनुरोध की तैयारी में सहायता करना।
6. टीओआर (सभी मामलों में), छंटनी एवं आरएफपी दस्तावेज के लिए 'अनापत्ति' प्राप्त करने में विश्व बैंक की सहायता करना एवं समन्वयन करना (केवल पूर्व समीक्षा के मामलों में)।
7. चुने गये परामर्शदाताओं के लिए आरएफपी दस्तावेज की तैयारी में सहायता करना। प्रश्नों के प्रत्युत्तर की व्यवस्था करना यदि आमंत्रित परामर्शदाताओं से प्रस्तावों की प्रस्तुति की अंतिम तिथि से पहले प्राप्त हुई हों।
8. पूर्व प्रस्ताव सम्मेलन में पीआईयू की सहायता करना यदि पैकेज, पूर्व प्रस्ताव सम्मेलन के कार्यवृत्त की तैयारी एवं विश्व बैंक की जानकारी के तहत आमंत्रित परामर्शदाताओं को प्रसारण हेतु प्रस्तावित है (केवल पूर्व समीक्षा के मामलों में)।

9. तकनीकी प्रस्तावों के मूल्यांकन, विश्व बैंक के साथ तकनीकी मूल्यांकन साझा करने एवं 'अनापत्ति' प्राप्त करने में पीआईयू की सहायता करना (केवल पूर्व समीक्षा के मामलों में)।
10. तकनीकी रूप से प्रशिक्षित परामर्शदाताओं के वित्तीय प्रस्ताव प्रारंभ करने एवं वाणिज्यिक प्रस्तावों के मूल्यांकन करने में सहायता करना।
11. शीर्ष पद के परामर्शदाता तय करने एवं अनुबंध पुरस्कार संस्तुतियों के लिए विश्व बैंक से अनापत्ति प्राप्त करने में सहायता करना (केवल पूर्व समीक्षा के मामलों में)।।
12. विजेता परामर्शदाता को अनुबंध दस्तावेज तैयार एवं जारी करने एवं असफल परामर्शदाता को प्रतिपुष्टि प्रदान करने में सहायता करना यदि कभी अनुरोध किया गया।
13. अनुबंध पुरस्कार नोटिस प्रकाशित करना (केवल पूर्व समीक्षा के मामलों में)।
14. कार्य का समय पर समापन, भुगतान का मोचन, अनुबंध संशोधन इत्यादि जारी के साथ अनुबंध प्रबंधन की निगरानी करना।

कार्य स्थान:

उपलब्ध विशेषज्ञ का कार्य (ड्यूटी) दिल्ली में होगी।
उन्हें अक्सर परियोजना के उद्देश्यों के लिए राज्य में राज्य के बाहर यात्रा करने की आवश्यकता पड़ेगा/पड़ेगी।

अवधि:

अनुबंध 3 वर्ष की अवधि के लिए होगा जो परियोजना की मांग के अनुसार बढ़ाया जाएगा। अनुबंध 3 वर्षों की अवधि के इनपुट में 150 सोमवार के साथ, समय आधारित अनुबंध होगा।

योग्यता, कौशल एवं विशेषताएं

अनिवार्य:
प्रतिष्ठित संस्थान से स्नातक की डिग्री हो
10 वर्षों का अनुभव एवं परामर्शदाता सेवाओं के प्रबंधन में कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव विशेष तौर पर दानदाता वित्त पोषित परियोजनाओं में

वांछनीय:
अन्तरर्राष्ट्रीय दानदाताओं में शामिल परियोजनाओं के एक्सपोजर को प्राथमिकता दी जाएगी।